



फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत...सहायक कलक्टर मुकाम...खींवसर

दामोदर बनाम घनश्याम

रजस्व मुकदमा...राजस्व प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट...नं. 45 सन्. 2017

<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज 26.04.2017</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम की तामील में जारी हुए</p>
<p>प्रार्थी ने जरीये वकील अप्रार्थीगण के विरुद्ध राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत कर विवादित खसरान पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया । उक्त प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे । अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस से वास्ते जबाबदेही बाबत तलब किया जाकर मिसल दिनांक 17.05..2017 को पेश हो ।</p> <p style="text-align: center;"> सहायक कलक्टर खींवसर</p> <p><i>15/5/17</i> <del>प्रार्थी ने उक्त प्रकरण अदालत में पेश किया है। प्रकरण का न्याय अदालत में हो रहा है। प्रार्थी को उक्त प्रकरण में सहमत होना पड़ेगा। अदालत में प्रकरण का न्याय होना बाकी है।</del></p> <p style="text-align: center;"> सहायक कलक्टर खींवसर</p> <p><i>13-6-17</i> उक्त प्रकरण आज राजस्व लाक अदालत आपक द्वार, कम्प कोर्ट ग्राम पंचायत में पेश हुआ। उपस्थित पक्षकारान को प्रकरण में गजीनामा करने हेतु समझाया गया। पक्षकारों के मध्य प्रकरण में राजीनामा हेतु सहमति नहीं हो पाई। अतः प्रकरण न्यायलव में दिनांक 9-10-17 को पेश हो</p> <p style="text-align: right;">पी.प्रसीन अधिकारी द्वारा आपक द्वार कम्प कोर्ट <i>2/10/17</i></p>	

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

15/11/2

पत्रावली आज पेश हुई। वक्तुलम्य उपरो  
वहीलवादी को लखी पेश हुये हु  
हुई अवसर प्रदान किन गये थे, कि  
आदिनांरु सब लखी पेश नहीं की।  
अतः वहीलवादी को लखी पेश हुये  
हुये अतिम अवसर दिम गये जा  
उसके उपरान्त भी वहीलवादी ने  
आदिनांरु सब लखी पेशी नहीं की।  
आदि प्रकरण बहुत प्रकाश है। इसलिए  
उस प्रकरण में वहीलवादी द्वारा लखी  
पेश नहीं हुये थे अतएव उक्त प्राप्ति  
को आदेश-७, नियम-५ से गहर  
स्वार्थ किन जाग है।

पत्रावली पेशत शुमार देखर  
कम्बल से कम देखर बाद जाला  
शरिफ इफतार है।

सहायक कलक्टर  
(एस.डी.ओ.) बीकानेर